# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

**राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 80 / 2021 / बाड़मेर**

**अपीलांट**

स्व.रामलाल पुत्र सवाराम के वारिसान
1. जसराज पुत्र श्री रामलाल
2. ओमाराम पुत्र रामलाल
3. माणकचन्द पुत्र श्री रामलाल
4. भेराराम उर्फ भावेश पुत्र रामलाल
5. श्रीमती मोरोदेवी पत्नी रामलाल
   जातियान घांची निवासीगण
   सिवाना तहसील सिवाना जिला
   बाड़मेर राज.
6. श्रीमती हिरकीदेवी पुत्री रामलाल
   जाति घांची निवासी करमावास
   जिला बाड़मेर राज.
7. श्रीमती अमरतीदेवी पुत्री रामलाल
   जाति घांची निवासी बालोतरा
   जिला बाड़मेर राज.

**रेस्पोडेंटगण**

बनाम 1.मानाराम पुत्र श्री प्रभुराम जाति माली निवासी सिवाना तहसील सिवाना जिला बाड़मेर राज.
2.राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

**अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी सिवाना द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 59 / 2021 बअनवान मानाराम बनाम रामलाल वगै. में पारित आदेश दिनांक 27.09.2021 के विरूद्ध पेश हुई ।**

**उपस्थित**

1. वकील श्री कैलाश पुरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री बाबुलाल सांखला रेस्पोडेण्ट की ओर से।

## निर्णय

**दिनांकः— 30.05.2022**

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ग्राम सिवाना पटवार मण्डल सिवाना में स्थित खेत खसरा संख्या 757 रकबा 03.5031 हैक्टयर किस्म बा. अव्वल का खातेदार है, ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र पेश कर खसरा नम्बर 741 में से होकर रास्ता प्राप्त करने हेतु अपीलकर्तागण को पक्षकार बनाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना में पेश किया, खेत खसरा नम्बर 741 मौजा सिवाना अपीलकर्तागण की खातेदारी की है जिसमें से प्रार्थीगण ने रास्ते की मांग की है जबकि इसके विपरित प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 757 के लिए जबाव के संलग्न नजरी नकशा परिशिष्ट 'ब' में दर्शाया बरंग लाल, पीला, हरा रास्ते मौजूद है तथा उक्त खेत के आवागमन हेतु सभी दिशाओं में बरंग लाल, पीला, हरा रास्ते माठ–माठ होकर लगते मौजूद हैं, उक्त रास्ते प्रार्थी के खेत के लिए सबसे सुगम व नजदीकतम रास्ते है। इसके बावजूद

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजात पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। रेस्पोडेंट/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांटगण को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई है वह मौका पर जाकर नहीं बनाई गई है तथा अपीलांटगण की अनुपस्थिति में तैयार की गई। अपीलांटगण द्वारा उपरोक्त मौका रिपोर्ट पर आपति पेश की गई जिसका अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निस्तारण नहीं किया गया तथा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया है जिससे अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया प्रतीत

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

होता है। मौका फर्द दिनांक 16.07.2021 में स्पष्ट किया गया है कि विकल्प संख्या 01 में प्रार्थी के खसरा संख्या 757 में आवागमन हेतु 741 मे से करीब 40–50 वर्षों से आवागमन होता था वर्तमान में विप्रार्थीगण द्वारा रास्ता मौके पर चल रहा था उसको बंद कर दिया गया। उक्त खसरा संख्या 757 में आवागमन हेतु खसरा संख्या 741 मे से आवागमन हेतु उपयुक्त है इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। विकल्प संख्या 02 में सबसे कम दूरी खसरा संख्या 756 के दक्षिणी गाठ की है लेकिन वहा रहवासी मकान, टयूबवैल, होदी होने से उक्त रास्ता दिया जाना सम्भव नहीं है। अपीलांटगण द्वारा मौका रिपोर्ट पर पेश आपति का निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17.09.2021 की आदेशिका में किया गया। अपीलांट द्वारा ऐतराज पर ऐतराज पेश किया जा रहा है जिससे अपीलांट की रास्ता नहीं देने की नीयत साफ झलकती है। रेस्पोडेंट/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता और अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से प्रदत्त रास्ता दिया गया है जो नितांत विधि सम्मत एवं युक्तिसंगत है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए बाद विस्तृत विवेचन दिया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अपीलांट की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर रेस्पोडेंट/प्रार्थी को उसको मिले रास्ते के विधिक अधिकार से वंचित रखना कतई न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 59/2021 बअनवान मानाराम बनाम रामलाल वगै. में पारित आदेश दिनांक 27.09.2021 को यथावत रखा जाता है।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 30.05.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर